पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 12326

पूर्णेन्दु शेखर सिन्हा पुत्र - स्वर्गीय राम स्वरुप सिंह, निवासी बर्मा शेल लेन, मीठापुर, थाना- जक्कनपुर, जिला-पटना।

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।

2. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

3. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत)।

4. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, पश्चिम गांधी मैदान, पटना।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

<u>हेडनोट</u>

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10 ए ए) - परमादेश याचिका की प्रार्थना जिससे धारा10(10 ए ए) के उस भाग को निरस्त करने के लिये जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के अलावे अन्य कर्मचारियों से उनके सेवानिवृति के समय छूट्टी भुनाने के रुप में प्राप्त राशि में आयकर के छूट से वंचित करता है - याचिकाकर्ता भारतीय स्टेट बैंक को 1981 में

नियुक्त हुआ और 31.8.2017 को सेवानिवृत हुआ- याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें 6.7 लाख मिलना था, लेकिन उन्हें 4.7 लाख रुपया ही मिला, बाकी आयकर के रुप में काट लिया गया। अगर वह सरकारी कर्मचारी होता, तो उसे सारे पैसे मिलती, कटौती नहीं होती। खंडपीठ के अनुसार, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी के बीच का अंतर युक्तियुक्त वर्गीकरण है - धारा10(10 ए ए) के अंतर्गत अंतर न केवल भेदभावपूर्ण है न ही अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है - सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में निर्णित किया है कि राज्य को कर के संबंध मं व्यापक विविकाधिकार है - खंडपीठ के अनुसार, सरकारी कपंनी के कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारी के समान कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है - धारा 10(10 ए ए) न्यायिक जांच को बार-बार सामना किया है - और इस पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता, भारतीय स्टेट बैंक का एक सेवानिवृति कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है और उस पृष्ठभूमि में, इस तरह की कटौती में हस्तक्षेप नीं किया जा सकता है। - दीवानी याचिका खारिज की जाती है-

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 12326

पूर्णेन्दु शेखर सिन्हा पुत्र - स्वर्गीय राम स्वरुप सिंह, निवासी बर्मा शेल लेन, मीठापुर, थाना- जक्कनपुर, जिला-पटना।

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।

2. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

3. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत)।

4. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, पश्चिम गांधी मैदान, पटना।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए:- श्री कुंदन कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

श्री बिपिन कृष्ण सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/उत्तरदातागण के लिए:- डॉ. के. एन. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता और ए.एस.जी.

सुश्री अर्चना सिन्हा, अधिवक्ता

एस.बी.आई के लिए:- श्री राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रॉय

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय)

तिथी: 26-02-2024

रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई हैः

परमादेश रिट एवं अन्य उचित रिट (ओं), आदेश (आदेशों) या नर्देश (निर्देशों) को जारी करने के वास्ते। आयकर अधिनियम, 1961 (इसके पश्चात संक्षेप के लिए अधिनियम) की धारा 10 (10 एए) के उस भाग की घोषणा कर जिसके संचालन द्वारा सरकारी कर्मचारियों के अलावा, कर्मचारियों के सेवानिवृति के समय छुट्टी भुनाने के रूप में प्राप्य रषि पर, आयकर से छूट की सीमा राखी गई है, विशेषत: सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनकी सेवानिवृति के वक्त अवकास भुनाने द्वारा प्राप्य राशि पर कोई सिमा नहीं राखी गई है, क्यूंकि यह भारतीय संविधान के अधिकारतीत है एवं पृथक्करणीयता का सिद्धांत का अनुप्रयोग कर असंवैधानिकता के हिस्सा को हटाना ताकि अधिनयमन का लाभकारी हिस्सा को बचाया जा सके, विधानमंडल द्वारा सेवानिवृत लोगो को उनके बुरे (सांध्यकाल) के दिनों में रहत प्रदान करने के

इरादा को निराश नहीं किया जाता है एवं अलगाव के उपरांत अधिनियमन असंवैधानिकता के आक्रांत नहीं होता है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित है।

2. रिट याचिका की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः

3. याचिकाकर्ता वर्ष 1981 में भारतीय स्टेट बैंक (अब से संक्षिप्त में 'एस. बी. आई.') में शामिल हुआ और 36 साल से अधिक की सेवा देने के बाद 31.08.2017 को सेवानिवृत्त हुआ।

4. अपनी सेवानिवृत्ति से पहले दायर रिट याचिका के अनुसार, उन्होंने एक मामला बनाया कि एक बार सेवानिवृत्त होने के बाद, वे रुपये 6,70,000 के हक़दार थे-लेकिन आयकर की कटौती के बाद उन्हें लगभग केवल रु 4,70,000-मिलेगा क्योंकि शेष राशि कर के लिए उत्तरदायी होगी। हालाँकि, यदि वह राज्य या केंद्र सरकार की सेवाओं में होते, तो याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृति के वक्त देय अवकाश वेतन से आयकर के कारण कोई कटौती नहीं की जाती एवं वह पूर्ण राशि प्राप्त करने का हक़दार होता।

5. उनके अनुसार, यह केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10एए) के संचालन के कारण है (अब से संक्षिप्त में 'अधिनियम') जो समान रूप से रखे गए कर्मचारियों के समूह के बीच भेदभाव करता है कि उसे इतना पैसा खोना पड़ेगा। 'अधिनियम' की धारा 10 (10एए) निम्नानुसार हैः

अध्याय III

आय है जो कुल आय का हिस्सा नहीं हैः

आय जो कुल आय में शामिल नहीं है *10. किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना करने में, निम्नलिखित खंडों में से किसी के भीतर*

आने वाली किसी भी आय को (10 एए) में शामिल नहीं किया जाएगा (i) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई भी भुगतान छुट्टी वेतन के बराबर नकद के रूप में उसकी सेवानिवृत्ति के समय चाहे वह सेवानिवृत्ति पर हो या अन्यथा उसके क्रेडिट पर अर्जित छुट्टी की अवधि के संबंध में,

(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई भी भुगतान एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी के अलावा, अपनी सेवानिवृत्ति के समय चाहे वह सेवानिवृत हो या अन्यथा अपने खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के इतने हिस्से के संबंध में, जो दस महीने से अधिक न हो, जिसकी गणना कर्मचारी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले की दस महीने की अवधि के दौरान, चाहे वह सेवानिवृत्ति पर हो या अन्यथा, उसके द्वारा प्राप्त औसत वेतन से आधार पर किया गया हो ऐसी सीमा के अधीन रहते हुए की जाती है जो केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में लागू सीमा को ध्यान में रखते हुए इस ओर से निर्दिष्ट करेः

***बशर्ते** कि जहां एक कर्मचारी द्वारा एक ही पिछले वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से ऐसा कोई भुगतान प्राप्त किया जाता है। इस उपखंड के तहत आय-कर से छूट प्राप्त की कुल राशि इस प्रकार निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगीः*

***इसके अलावा बशर्ते** कि जहां ऐसा कोई भुगतान या भुगताने किसी एक या अधिक पूर्ववर्ती वर्षों में भी प्राप्त किये गये थे और ऐसे भुगतान या भुगतानों की पूर्ण राशि या उस राशि का कोई हिस्सा ऐसे पिछले वर्ष या वर्षो की*

निर्धारिती की कुल आय में शामिल थे या नहीं थे, इस उपखंड के तहत आय-कर से छूट प्राप्त राशि इस प्रकार निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी, जैसा कि राशि से घटाई गई है या जैसा मामला हो, कुल राशि जो ऐसे किसी पूर्ववर्ष या वर्षों की कुल आय में शामिल नहीं है।

उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए स्पष्टीकरण -

एक कर्मचारी की अर्जित छुट्टी की पात्रता उस नियोक्ता के कर्मचारी के रूप में उसके द्वारा प्रदान की गई वास्तविक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिनों से अधिक नहीं होगी, जिसकी सेवा से वह सेवानिवृत्त हुआ है।

6. याचिकाकर्ता का तर्क है कि 'अधिनियम' की विवादित धारा 10 (10एए) छुट्टी की अवधि और छुट्टी वेतन की राशि पर कोई सीमा नहीं लगाती है जो सरकारी कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय आयकर के दायरे से बाहर होगी, चाहे वे केंद्रीय या राज्य सेवाओं में हों, जबकि अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के मामले में, छुट्टी की अवधि 10 महीने तक सीमित है और आयकर से छूट की अधिकतम राशि ऐसी सीमा के अधीन है जिसे केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है, जो वर्ष 2017 में रु. 3 लाख था, जिसका अर्थ है कि रु. 3 लाख से अधिक कोई राशि पर कर लगेगा।

7. आगे तर्क यह है कि छुट्टी वेतन नियम विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों पर लागू विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार बनाए गए हैं, जबकि केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 (अब से संक्षिप्त के लिए 'नियमों') के अनुसार एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के क्रेडिट पर अर्जित छुट्टी की नकदीकरण सेवानिवृत्ति की तारीख को अधिकतम 300 दिनों, यानी दस महीने के अधीन स्वीकार्य है, जबकि बैंक सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण केवल अधिकतम 240 दिनों के अधीन स्वीकार्य है। विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता 'अधिनियम' में निर्दिष्ट अवधि से संबंधित नहीं है,

बल्कि कर से छूट प्राप्त अधिकतम राशि की सीमा से संबंधित है जो उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिसके कारण वह वर्तमान रिट आवेदन दायर करने के लिए प्रेरित हुआ।

8. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि आयकर में, जो एक व्यक्तिगत कर है, सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी कर्मचारियों के बीच किया गया अंतर एक वर्ग को कुछ लाभ प्रदान करने के लिए एक वैध वर्गीकरण नहीं है, जबकि दूसरे को इससे वंचित करने के लिए, एक वैध वर्गीकरण नहीं है।

9. विद्वान वकील ने **भारतीय संघ एवं अन्य बनाम एन एस रथनम एंड संस** में (2015) 10 एस सी सी 681 में प्रतिवेदित वाद पर भरोसा किया। पैरा 12 में अभिनिर्धारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सुसंगत भाग इस प्रकार हैः

> *जब किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों को छूट दी जाती है, तो उसका लाभ सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को दिया जाता है। अधिसूचना को पूरे वर्ग पर लागू करना पड़ता है और सरकार उप-वर्गीकरण नहीं बना सकती है जिससे एक उप-श्रेणी को बाहर रखा जा सके, भले ही दोनों उप-श्रेणियां एक ही वर्ग की हों। यदि ऐसा किया जाता है, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, ऐसी अधिसूचनाओं की न्यायिक समीक्षा की अनुमति है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या अधिसूचना के परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों के बीच आपत्तिजनक भेदभाव होता है, हालांकि वे एक ही वर्ग के हैं।*

10. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा किः

"आशीर्वाद फिल्म्स बनाम भारत संघ और अन्य [(2007) 6 एस. सी. सी. 624] में इस पहलू को निम्नलिखित तरीके से व्यक्त किया गया है। (एससीसी पीपी। 628-29 पैरा 9-12)

'9. एक कराधान कानून के मामले में राज्य निस्संदेह एक बड़ी स्वच्छन्दता का आनन्द लेता है। यह लोगों के एक वर्ग पर कर लगा सकता है, जबकि यह दूसरे वर्ग के संबंध में ऐसा नहीं कर सकता है।

10. हालाँकि, जैसा कि सर्वविदित है, एक कर कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती के निष्प्रम दायरे से परे नहीं है। 11. छोटाभाई जेठाभाई पटेल एंड कंपनी बनामभारत संघ, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1006 में कहा गया था:(ए. आई. आर. पी. 1021, पैरा 37)

"37 लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाग III का हर दूसरा अनुच्छेद कर कानूनों पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 31 (2) को दरकिनार करते हुए कि विधायी क्षमता के भीतर एक कर कानून के प्रावधानों को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में आरोपित किया जा सकता है, इस न्यायालय के ऐसे निर्णयों का उदाहरण है जैसे सूरज मॉल मोहता एंड कंपनी बनाम। ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री (ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 545:(1955) 1 एससीआर 448) और मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड बनाम.ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री (ए. आई. आर 1955 एस. सी. 13:(1955) 1 एससीआर 787)। के. टी. मूपिल नायर बनाम केरल राज्य (ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 552) में केरल भूमि कर अधिनियम को अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए असंवैधानिक के रूप में हटा कर दिया गया था। यह भी बिना कहे चला जाता है कि यदि कर का अधिरोपण अनुच्छेद 15 के विपरीत भेदभावपूर्ण था, तो

वसूलाही अमान्य होगी। 12. हालाँकि, एक कराधान क़ानून एक बड़ी स्वच्छन्दता का आनंद लेता है। अनुच्छेद 14 के उललंघन के संबंध में एक अनुमान हालाँकि सामान्यतः लिया गया यदि यह समान रूप से स्थित व्यक्तियों या व्यवसायों के एक ही वर्ग पर अधिरोपित करना चाहता है या कराधान का एक उदाहरण है जो असमानता की ओर ले जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य मनोरंजन कर अधिनियम के तहत कर लगाने का कार्यक्रम एक व्यक्ति के मनोरंजन पर है। मनोरंजन कर की दर सिनेमा थिएटर के आगंतुक से एकत्र की गई राशि के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो उसके मालिक द्वारा दर्शक से लिए गए प्रवेश शुल्क के संदर्भ में प्रभावित होती है।

11. विद्वान वकील यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, 'अधिनियम' की धारा 10 (10एए) का खंड जो राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच छुट्टी भुनाने पर कर को अन्य लोगों की तुलना में अलग करता है, उसे अधिकार से बाहर घोषित किया जाना चाहिए।

12. प्रत्यर्थियों ने जवाबी हलफनामा दायर किया और उनके अनुसार, 'अधिनियम' की धारा 10 (10एए) सेवानिवृत्ति के समय छुट्टी वेतन भुनाने के लिए प्राप्त राशि के संबंध में आयकर के भुगतान से छूट को नियंत्रित करती है। 'अधिनियम' की धारा के खंड (10एए) में दो उपखंड हैं जो इस प्रकार हैंः

***(ए) उपखंड (i)** केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी से संबंधित है। यह ऐसे कर्मचारी द्वारा छुट्टी नकदीकरण के रूप में प्राप्त किसी भी भुगतान के लिए पूर्ण कर छूट प्रदान करता है; **(बी) उपखंड (ii)** केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी के अलावा किसी अन्य कर्मचारी से संबंधित है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में न केवल निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति*

शामिल हैं, बल्कि सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, सांविधिक निकायों आदि के कर्मचारी भी शामिल हैं, जो सरकार का हिस्सा नहीं हैं। इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए, छुट्टी नकदीकरण पर कर लाभ जिसका लाभ उठाया जा सकता है, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा तक सीमित है, भले ही ऐसे कर्मचारी द्वारा वास्तव में प्राप्त छुट्टी नकदीकरण की मात्रा कुछ भी हो। वर्तमान में सीमा के रूप में निर्दिष्ट राशि रु 25,00,000/- है।

13. आगे का तर्क यह है कि अधिसूचना सं एस. ओ.2276 (ई) दिनांक 24.05.2023 द्वारा छुट्टी नकदीकरण की सीमा 01.04.2023 के प्रभाव से बढ़ाकर रु. 25,00,000 की गई थी जो 'अधिनियम' के खंड 10 (10 एए) (ii) में उल्लिखित 'अन्य' कर्मचारियों के संबंध में है।

14. डॉ. के. एन. सिंह, विद्वान ए. एस. जी. प्रस्तुत करते हैं कि राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी अलग वर्ग बनाते हैं और याचिकाकर्ता, एक बैंक कर्मचारी अपने रोजगार की तुलना उनके साथ नहीं कर सकता है। 'अधिनियम' की धारा 10 (10 एए) उचित भेदभाव करती है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष परीक्षण का सामना की।

15. विद्वान वरिष्ठ वकील इस न्यायालय को एक श्री कमल कुमार कालिया और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2019 के डब्ल्यू. पी. 11846 में निर्णय लिया जिसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

"5. जहाँ तक भेदभाव के आधार पर अधिनियम की धारा 10 (10 एए) के प्रावधानों को चुनौती देने का संबंध है, हमारा विचार है कि इसमें कोई योग्यता नहीं है। यही कारण है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी एक अलग वर्ग बनाते हैं और वर्गीकरण उस उद्देश्य के साथ संबंध रखने के लिए उचित है जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के

कर्मचारियों को एक दर्जा प्राप्त है और वे रोजगार के विभिन्न नियमों और शर्तों द्वारा शासित होते हैं। यहाँ रोशन लाई टंडन बनाम भारत संघ ए आई आर 1967 एस सी 1889 के निर्णय को संदर्भित किया यगा है। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक सरकारी कर्मचारी की कानूनी स्थिति अनुबंध की तुलना में अधिक का दर्जा है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः.

"6. हम याचिकाकर्ता के अगले तर्क पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि ग्रेड डी में प्रवेश करने के समय याचिकाकर्ता पर लागू सेवा की शर्त के संबंध में एक संविदात्मक अधिकार था और रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा बाद में सेवा की शर्त को उसके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता था। यह कहा गया था कि रेलवे बोर्ड के 25 जनवरी, 1958 के आदेश, अनुलग्नक 'बी' में कहा गया था कि ग्रेड 'डी' से ग्रेड 'सी' में पदोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता पर आधारित होनी चाहिए और सेवा की यह शर्त संविदात्मक थी और इसके बाद याचिकाकर्ता के पूर्वाग्रह के कारण इसे बदला नहीं जा सकता था। हमारी राय में, इस तर्क के लिए कोई वारंट नहीं है। यह सच है कि सरकारी सेवा की उत्पत्ति संविदात्मक है। हर मामले में एक प्रस्ताव और स्वीकृति होती है। लेकिन एक बार अपने पद याा कार्यालय में नियुक्त होने के बाद सरकारी कर्मचारी एक दर्जा प्राप्त कर लेता है और उसके अधिकार और दायित्व अब दोनों पक्षों की सहमति से निर्धारित नहीं होते हैं, बल्कि क़ानून या वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जिन्हें सरकार द्वारा एकतरफा रूप से बनाया और बदला जा सकता है। दूसरे शब्दों में सरकारी कर्मचारी की कानूनी स्थिति अनुबंध की तुलना में अधिक काा दर्जा हैदर्जा काा प्ररमाणांक सार्वजनिक कानून द्वारा लगाए गए अधिकारों और

कर्तव्यों के कानूनी संबंध से लगाव है, न कि केवल पक्षों की सहमति से। सरकारी कर्मचारी का वेतन और उसकी सेवा की शर्तें क़ानून या वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती हैं जिन्हें कर्मचारी की सहमति के बिना सरकार द्वारा एकतरफा रूप से बदला जा सकता है। यह सच है कि अनुच्छेद 311 अनुच्छेद 310 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्ररदत्त हटाए जाने की शक्ति पर संवैधानिक प्रतिबंध लगाता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार और उसके सेवक के बीच संबंध एक स्वामी और सेवक के बीच सामान्य सेवा अनुबंध की तरह नहीं है। कानूनी संबंध पूरी तरह से अलग है, दर्जा की प्रकृति में कुछ है। यह पार्टियों के बीच स्वेच्छा से किए गए विशुद्ध रूप से संविदात्मक संबंध से बहुत अधिक है। दर्जे के कर्तव्य कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इन कर्तव्यों के प्रवर्तन में समाज की रुचि होती है। न्यायशास्त्र की स्थिति की भाषा में यह एक ऐसे समूह की सदस्यता की स्थित है, जिसमें शक्तियाँ और कर्तव्य विशेष रूप से कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं न कि संबंधित पक्षों के बीच समझौते द्वारा। सैल्मंड और विलियम्स ने अनुबंधों पर इस मामले को स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा हैः

इसलिए हम एक ही लेन-देन द्वारा उत्पन्न संविदात्मक और स्थिति दायित्व दोनों पा सकते हैं। एक लेन-देन के परिणामस्वरूप न केवल पक्षों द्वारा परिभाषित दायित्वों का निर्माण हो सकता है और इसलिए अनुबंध के क्षेत्र से संबंधित है, बल्कि कानून द्वारा स्वयं परिभाषित दायित्वों के साथ-साथ भी, और इसलिए स्थिति के क्षेत्र से संबंधित है। उस स्थिति से भी संबंधित है,नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सेवा का अनुबंध, जबकि अधिकांश भाग अनुबंध के क्षेत्र से विशेष रूप से संबंधित है। जहाँ तक कानून ने स्वयं इस संबंध में अनिवार्य घटनाओं को जोड़ना उचित समझा है, जैसे कि दुर्घटनाओं

के लिए मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व। पक्षों के द्वारा स्वयं स्वयात्त प्राधिकारण के अनुप्रयोग द्वारा निर्धारित अनुबंधक के क्षेत्र के अंतर्गत कानून जिस हद तक विषयों को छोड़ने के लिए संतुष्ट है, या अधिकारिक रुप से निर्धारित करके संबंध की सामग्री को मामले की स्थिति के दायरे में लाना उचित समझता है, यह सार्वजनिक नीति के विचारों पर निर्भर करने वाला मामला है। सेवा संबंधी अनुबंधों जैसे अनुबंधों में आधुनिक समय में अनुबंध के क्षेत्र से स्थिति के क्षेत्र में मामले को अधिक से अधिक वापस लेने की प्रवृत्ति है।" (अनुबंध पर सालमंड और विलियम्स, लॉर्ड एडन। पैरा (2)। (जोर दिया गया)

इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को संविधान और अन्य कानूनों के तहत सुरक्षा और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारी नहीं हैं।

16. विद्वान ए.एस.जी. प्रस्तुत करते हैं कि केवल इसलिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों को राज्य माना गया है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही पर विचारण के उद्देश्य से एवं संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे सार्वजनिक क्षे९ के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों या अन्य संस्थानों के कर्मचारीगण, जिन्हें राज्य के रुप में वर्गीकृत किया गया है, वे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा प्राप्त करते हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि कई निर्णयों में यह माना गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के बराबर नहीं हैं।

17. विद्वान वरिष्ठ वकील ने ए.के, बिरल एवं एकअनय बनाम भारत संघ जो (2003)5 एस सी सी 163 में प्रतिवेदित था एवं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वाद था को संदर्भित किया एवं कंडिका 17 के संदर्भित भागों को निम्नानुसार पढ़ा गयाः-

> *कानूनी स्थिति यह है कि सरकारी कंपनी की पहचान सरकार से अलग रहती है। सरकारी कंपनी की पहचान संघ के साथ नहीं की गई है, लेकिन इसे नियंत्रण की एक विशेष प्रणाली के तहत रखा गया है और कंपनी अधिनियम की धारा 619 और 620 में निहित प्रावधानों के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। केवल इसलिए कि पूरी हिस्सेदारी केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, निगमित कंपनी को केंद्र सरकार नहीं बनाएगी। यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि सरकारी कंपनी के कर्मचारी लोक सेवक नहीं हैं और इसलिए वे संविधान के अनुच्छेद 311 (प्यारे लाई शर्मा बनाम प्रबंध निदेशक (1989) 3 एस. सी. सी. 448) द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के हकदार नहीं हैं। चूँकि सरकारी कंपनियों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए उन्हें दावा करने का कानूनी अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार को उनके वेतन का भुगतान करना चाहिए या उनके वेतनमान के संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय को सरकार द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। कंपनियों के कर्मचारी होने के नाते यह कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें वेतन का भुगतान करें और यदि कंपनी एक अवधि से लगातार घाटे में चल रही है और उसके पास वेतनमान को संशोधित करने या बढ़ाने की वितीय क्षमता नहीं है, तो याचिकाकर्ता किसी भी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार को अतिरिक्त व्यय को पूरा करने का निर्देशन की माँग करें जो वेतनमान में संशोधन के कारण व्यय हुआ है। दिनांकित 12.4.1993 के कार्यालय ज्ञापन जारी करने से पहले सरकार सार्वजनिक क्षेत्र*

के उन उद्यमों के प्रबंधन के लिए आवश्यक धन प्रदान कर रही थी जिन्हें नुकसान हो रहा था। नब्बे के दशक की शुरुआत में शुरू की गई आर्थिक नीति में बदलाव के बाद, सरकार ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजदूरी में वृद्धि के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के संसाधन जुटाने होंगे और सरकार इसके लिए कोई धनराशि प्रदान नहीं करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यम (सरकारी कंपनियां) जो बीमार हो गए थे और जिन्हें बी आई एफ आर को संदर्भित किया गया था, स्पष्ट रूप से भारी नुकसान में चल रहा था और उसके पास वित्तीय देयता को पूरा करने के लिए अपने संसाधन नहीं थे जो वेतनमान के संशोधन से हुआ होगा। दिनांकित 19.7.1995 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सरकार ने केवल अपने पहले के रुख को दोहराया और चेतावनी जारी की कि जब तक उपक्रमों को पुनर्जीवित करने का निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक वेतनमान में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, हम दोनों कार्यालय ज्ञापनों में कोई कमजोरी जो कानूनी या संवैधानिक हो नहीं पाते हैं एवं जिन्हें रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है।

18. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि अन्य कर्मचारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण के लिए छूट सीमा को बढ़ाने पर केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विचार किया गया है और 01.04.2023 से प्रभावी है अब इसे बढ़ाकर रु.25,00,000/- कर दिया गया है।

19. याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की तुलना में धारा 10 (10 एए) के तहत प्रावधानों की संवैधानिकता के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने एस. के. दत्ता, आईटीओ बनाम लॉरेंस सिंह इंग्टी, (1968) 68 आईटीआर 272, के मामले में

सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय को उद्धृत किया है, जिसमें यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया थाः जिसमें यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

> *"यह विवाद में नहीं है कि कराधान कानूनों को भी अनुच्छेद 14 की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यह इस न्यायालय द्वारा मूपिल नायर बनाम केरल राज्य, [1961] 3 एस. सी. आर. 77 में निर्धारित किया गया है। लेकिन जैसा कि इस न्यायालय ने ईस्ट इंडिया टोबैको कंपनी बनामआंध्र प्रदेश राज्य, [1963] 1 एस. सी. आर. 404,409,में अवलोकन किया कि यह निर्णय लेने में कि कराधान कानून भेदभावपूर्ण है या नहीं, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि राज्य को कर लगाने में व्यक्तियों या वस्तुओं का चयन करने में व्यापक विवेकाधिकार है और यह कि एक क़ानून इस आधार पर हमला करने के लिए खुला नहीं है कि वह किसी व्यक्ति या वस्तु पर कर लगाता है न कि दूसरों पर, यह केवल तब होता है जब कानून अपने चयन की सीमा के भीतर असमान रूप से काम करता है, और जिसे किसी भी वैध वर्गीकरण के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है, कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यह अच्छी तरह से तय है कि किसी राज्य को किसी चीज पर कर लगाने के लिए हर चीज पर कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसे जिलों, उद्देश्यों, व्यक्तियों, तरीकों और यहां तक कि कराधान की दरों को चयन करने और चुनने की अनुमति है यदि वह उचित रूप से ऐसा करता है।"*

20. वह इस न्यायालय को ए.पी. राज्य बनाम नल्लामिल्ली रामली रेड्डी के मामले में भी ले गए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2001)7 एस सी सी 708 में प्रतिवेदित किया गया था, जिसमें न्यायालय ने कंडिका 8 में अभिनिर्धारित किया किः

संविधान का अनुच्छेद 14 "वर्ग विधान" को निषेध करता है न कि "विधान के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण" को। विधायी उद्देश्यों के लिए करता है ताकि उन्हें एक अच्छी तरह से परिभाषित वर्ग के तहत लाया जा सके, यह समान व्यवहार से इनकार करने के आधार पर चुनौती देने के लिए खुला नहीं है कि कानून अन्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। अनुमेय वर्गीकरण का परीक्षण दो गुना है:(i) कि वर्गीकरण को बोधगम्य अंतर पर आधारित किया जाना चाहिए जो एक साथ समूह में रखे गए व्यक्तियों को अन्य लोगों से अलग करता है जो समूह से बाहर हैं, और (ii) इस अंतर का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है। अनुच्छेद 14 वर्गीकरण पर जोर नहीं देता है, जो वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण या तार्किक रूप से पूर्ण है। एक वर्गीकरण तब तक उचित होगा जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना न हो। यदि प्रत्येक समूह में समानता और एकरूपता है, तो कानून भेदभावपूर्ण नहीं होगा, हालांकि विचित्र स्थिति से उत्पन्न कुछ आकस्मिक परिस्थितियों के कारण एक वर्ग में शामिल कुछ लोगों को दूसरों पर लाभ मिलता है, जब तक कि उन्हें विशेष व्यवहार के लिए अलग नहीं किया जाता है। वास्तव में, आवश्यक अंतर यह है कि यह वास्तविक और सारवान होना चाहिए, जिसका विधान के उद्देश्य के साथ कुछ न्यायसंगत और उचित संबंध होना चाहिए।

21. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा है कि कैसे 'अधिनियम' की धारा 10 (10 एए) मनमाना है और इस तरह रिट याचिका खारिज होने के योग्य है।

22. भारतीय स्टेट बैंक के जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि आयकर अधिनियम एक केंद्रीय कानून है और केंद्र सरकार के पास संविधान की परिधि के भीतर एक कानून बनाने की शक्ति है जिसे अक्षांशः एवं गर्मजोशी के साथ लागू किया जा सकता है, जब तक कि इसे सक्षम अदालत द्वारा अधिकार से बाहर घोषित नहीं किया जाता है।

23. हमने अभिलेख पर सामग्री के साथ-साथ संबंधित वकीलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को देखा है। याचिकाकर्ता के मामले का संक्षिप्त एवं तात्पर्य यह है कि बैंक के कर्मचारियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता खंड को धारण करते हुए अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। उक्त तर्क निराधार है और खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि कर्मचारियों के दो अलग-अलग समूह जो समान रूप से स्थित नहीं हैं और एक अलग वर्ग का निर्माण करते हैं, उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत बराबर नहीं किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच अन्य की तुलना में किया गया अंतर निश्चित रूप से एक उचित वर्गीकरण है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए विभिन्न मामलों में उचित पाया गया है।

24. यद्यपि हम स्वीकार करते हैं कि एक कराधान कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता है और उसे परीक्षण में उत्तीर्ण होना पड़ता है, यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि विभिन्न तत्वों के वित्तीय समायोजन की आंतरिक जटिलता को देखते हुए, कराधान उद्देश्यों के लिए वर्गीकरण के मामले में राज्य के पास व्यापक विवेकाधिकार है।

25. विधायिका को व्यक्तियों, संपत्तियों और आय जिन पर वह कर लगाएगी और/या कर नहीं लगाएगी। को चुनने और वर्गीकृत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए इस प्रकार, हमारे विचार में 'अधिनियम' की धारा 10 (10 एए) में एक ओर केंद्र और राज्य सरकारों के

कर्मचारियों और दूसरी ओर अन्य कर्मचारियों के बीच राज्य द्वारा किया गया अंतर न तो भेदभावपूर्ण है और न ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

26. यहाँ तक कि याचिकाकर्तो के लिए विद्वान वकील दुवारा उद्धत भारत संघ एवं अन्य (उपरोक्त) मामले में उनके बचाव में नहीं आते हैं क्योंकि उक्त मामले में भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य को निस्संदेह कर कानून के मामले में अधिक स्वच्छन्दता प्राप्त है। यह लोगों के एक वर्ग पर कर लगा सकता है जबकि यह दूसरे वर्ग के संबंध में ऐसा नहीं कर सकता है।

27. दूसरी ओर, कमल कुमार कालिया और अन्य (ऊपर) जो विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 10(ए ए) से विशेष रुप से संबंधित था ने रोशन लाल टंडन बनाम भारत संघ जो ए आई आर 1967 एस सी 1889 में प्रतिवेदित था में माननी शीर्ष न्यायालय के आदेश पर ध्यान दिया एवं अभिनिर्धारित किया कि अग्रसारित किए गए तर्क कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारीगण केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मचारीगण के बराबर हैं, क्योंकि वे सरकार को सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। सरकारी कंपनियों के कर्मचारीगण सरकारी कर्मचारीगण के समान कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

28. हम ए.के.बिंदल एवं एक अन्य (उपरोक्त) के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्णय से निर्देशित हैं जिसमें यह आयोजित किया गया था सरकारी कंपनी की पहचान सरकार से अलग रहती है। इसकी पहचान संघ के साथ में नहीं की गई है, लेकिन इसे केन्द्र की एक विशेष प्रणाली के तहत रखा गया है और कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। इसने आगे कहा कि चूंकि सरकारी कंपनियों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए उन्हें समानता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

29. यह न्यायालय एस. के. दत्ता, आई. टी. ओ. (उपर्युक्त) के मामले पर भी ध्यान देता है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि राज्य को व्यक्तियों या वस्तुओं के चयन में जिस पर वह कर लगाएगा में व्यापक विवेकाधिकार है और यह कि एक क़ानून इस आधार पर हमला करने के लिए खुला नहीं है कि वह कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं पर कर लगाता है न कि दूसरों पर। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य को जिलों, उद्देश्यों, व्यक्तियों, तरीकों और यहां तक कि कराधान की दरों को पसंद करने और चुनने की अनुमति है यदि वह उचित रूप से ऐसा करता है।

30. फिर से आंध्र प्रदेश सरकार (ऊपर)के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि प्रत्येक समूह में समानता और एकरूपता है, तो कानून भेदभावपूर्ण नहीं होगा, विचित्र हालांकि स्थिति से उत्पन्न होने वाली कुछ आकस्मिक परिस्थितियों के कारण, एक वर्ग में शामिल कुछ लोगों को दूसरों पर लाभ मिलता है, जब तक कि उन्हें विशेष व्यवहार के लिए अलग नहीं किया जाता है।

31. इस प्रकार हमारा विचार है कि 'अधिनियम' की धारा 10 (10एए) में किए गए वर्गीकरण ने बार-बार न्यायिक जांच का सामना किया है और इस पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता, भारतीय स्टेट बैंक का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है और उस पृष्ठभूमि में, इस तरह की कटौती में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

32. हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि बाद में छुट्टी नकदीकरण की राशि/सीमा को बढ़ाकर रुपया 25,00,000/- कर दिया गया है जो 01.04.2023 से प्रभावी है। हमें यह दर्ज करना चाहिए कि यह एक विलंबित अभ्यास रहा है क्योंकि अंतिम संशोधन वर्ष 2002 में किया गया था। हालाँकि, इससे याचिकाकर्ता को लाभ नहीं होता है क्योंकि वह वर्ष 2017 में पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

33. दीवानी याचिका खारिज की जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रॉय, न्यायाधीश)

अदनान/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।